रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072026-274853
CG-DL-E-27072026-274853

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 602] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2026/श्रावण 2, 1948
No. 602] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2026/SHRAVAN 2, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 664(अ) .—केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्रारूप कतिपय नियमों को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

उपरोक्त अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किन्हीं आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को अपर सचिव (एमवीएल,परिवहन और सड़क सुरक्षा), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को या ईमेल: comments-morth@gov.in, पर भेजा जा सकता है।

प्रारूप नियम

1. शीर्षक एवं प्रारंभ – (1) इन नियमों को केंद्रीय मोटर यान (.....संशोधन) नियमावली, 2026 कहा जाएगा।

(2) परंतु इन नियमों में अन्यथा यथा-उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 115 में उप-नियम (7) और उसके परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(7) प्रत्येक वाहन में राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत एजेंसी द्वारा जारी किया गया वैध "प्रदूषण नियंत्रण" प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। नियम 116 के उप-नियम (1) में उल्लिखित अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। जारी या नवीनीकृत किया गया ऐसा प्रमाण पत्र निम्नलिखित अवधि के लिए वैध होगा:-

क्रम संख्या	वाहन श्रेणी	प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की वैधता
(1)	(2)	(3)
1.	बीएस-I, बीएस-II और बीएस-III उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करने वाले सभी मोटर वाहन	3 माह
2.	बीएस-IV उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करने वाले सभी मोटर वाहन	6 माह
3	बीएस-VI उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करने वाले सभी गैर-परिवहन मोटर वाहन	प्रथम पंजीकरण की तिथि से: (क) 6 वर्ष तक – 3 वर्ष; (ख) 6 वर्ष से अधिक लेकिन 10 वर्ष से अधिक नहीं – 1 वर्ष; और (ग) 10 वर्ष से अधिक – 6 माह।
4	बीएस-VI उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करने वाले सभी परिवहन मोटर वाहन	प्रथम पंजीकरण की तिथि से: (क) 6 वर्ष तक – 2 वर्ष; (ख) 6 वर्ष से अधिक लेकिन 10 वर्ष से अधिक नहीं – 1 वर्ष; और (ग) 10 वर्ष से अधिक – 6 माह।

बशर्ते कि, केंद्रीय मोटर यान (_____ संशोधन) नियमावली, 2026 के प्रारंभ होने से पूर्व जारी किए गए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के मामले में, इस उप-नियम के तहत विनिर्दिष्ट वैधता अवधि प्रारंभ होने के पश्चात् ऐसे प्रमाण पत्र के पहले नवीनीकरण पर ही लागू होगी:

इसके अतिरिक्त, यदि प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण का अनुरोध किया जाता है तो:

क. इसकी समाप्ति तिथि से दस दिन पूर्व नवीनीकृत प्रमाणपत्र इसकी समाप्ति तिथि से प्रभावी हो जाएगा, और

ख. अन्य सभी मामलों में, समाप्ति तिथि के बाद नवीनीकृत प्रमाण पत्र नवीनीकरण की तिथि से प्रभावी होगा।

[फा. सं. आरटी-11036/94/2020-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप धारा (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 02 जून, 1989 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि.....(अ), दिनांकित ..... द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2026

G.S.R. 664(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL, Transport & Road Safety), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001 or on the email: comments-morth@gov.in;

Draft Rules

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (……. Amendment) Rules, 2026.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989, in Rule 115, for sub-rule (7) and its proviso, the following shall be substituted, namely:

"(7) Every vehicle shall carry a valid "Pollution Under Control" certificate issued by an agency authorised for this purpose by the State Government. Such certificate shall be produced on demand by the officers referred to in sub-rule (1) of Rule 116. Such Certificate when granted or renewed shall be valid for the period as indicated below:-

Sl. No.	Vehicle Category	Validity of Pollution Under Control Certificate
(1)	(2)	(3)
1.	All motor vehicles complying with BS-I, BS-II and BS-III emission norms	3 months
2.	All motor vehicles complying with BS-IV emission norms	6 months
3	All Non-Transport motor vehicles complying with BS-VI emission norms	From the date of first registration: (a) Up to 6 years – 3 years; (b) More than 6 years but not more than 10 years – 1 year; and (c) More than 10 years – 6 months.
4	All Transport motor vehicles complying with BS-VI emission norms	From the date of first registration: (a) Up to 6 years – 2 years; (b) More than 6 years but not more than 10 years – 1 year; and (c) More than 10 years – 6 months.

Provided that, in the case of a Pollution Under Control Certificate issued before the commencement of the Central Motor Vehicles (_____ Amendment) Rules, 2026, the validity period specified under this sub-rule shall apply only upon the first renewal of such certificate after such commencement:

Provided further that, in case where the renewal of Pollution Under Control Certificate is sought:

a. within ten days preceding the date of its expiry, the renewed certificate shall take effect from the date of its expiry, and

b. in all other cases after the date of expiry, the renewed certificate shall take effect from the date of such renewal."

[F. No. RT-11036/94/2020-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section(i) vide G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide G.S.R. …..(E) dated the …….

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR Digitally signed by VINOD KUMAR Date: 2026.07.27 16:31:21 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072026-274834
CG-DL-E-27072026-274834

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 575] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 16, 2026/आषाढ 25, 1948
No. 575] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 16, 2026/ASHADHA 25, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 634(अ).— केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित कतिपय प्रारूप नियमों को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किन्हीं आक्षेपों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों के प्रति आक्षेपों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को अपर सचिव (एमवीएल,परिवहन और सड़क सुरक्षा), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के पास या ईमेल: comments-morth@gov.in पर भेजा जा सकता है।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ –(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (.....संशोधन) नियमावली, 2026 है।

(2) बशर्ते, इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

1. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (इसमें इसके बाद उक्त नियम के रूप में उल्लिखित) में, नियम 115 के उप-नियम 18 के खंड (i) के बाद, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ख) **वर्ल्डवाइड हारमोनाइज्ड लाइट ड्यूटी टेस्ट प्रोसीजर (डब्ल्यूएलटीपी) परीक्षण चक्र (एन1 श्रेणी के लिए) के साथ भारत स्टेज VI (बीएस-VI)** के लिए उत्सर्जन मानक: सभी मॉडलों के लिए 1 अप्रैल 2028 को या उसके बाद निर्मित श्रेणी एन1 के वाहनों के लिए उत्सर्जन मानक निम्नानुसार होंगे।

तालिका 1

पीआई और सीआई आंतरिक दहन (कंबस्शन) इंजन वाले वाहनों के लिए निकास (एक्जास्ट) उत्सर्जन सीमाएं

	श्रेणी	वर्ग	संदर्भ द्रव्यमान (आरएम) (2) (किलो)	कार्बन मोनोऑक्साइड- (सीओ) एल 1 (मिलीग्राम/किमी)		कुल हाइड्रो कार्बन - (टीएचसी) का द्रव्यमान एल 2 (मिलीग्राम/किमी)		नॉनमीथेन हाइड्रोकार्बन (एनएमएचस) का द्रव्यमान एल 3 (मिलीग्राम/किमी)		नाइट्रोजन ऑक्साइड - (एनओएक्स) का द्रव्यमान एल 4 (मिलीग्राम/किमी)		कुल हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड (टीएचसी + एनओएक्स)का संयुक्त द्रव्यमान एल 2 + एल 4 (मिलीग्राम/किमी)		पार्टिकुलेट मैटर (पीएम)का द्रव्यमान एल 5 (मिलीग्राम/किमी)		कणों (पार्टिकल्स) की संख्या (पीएन) एल 6 (#/किमी)	
				पीआई	सीआई	पीआई	सीआई	पीआई	सीआई	पीआई	सीआई	पीआई	सीआई	पीआई (1)	सीआई	पीआई (1)	सीआई
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
(1)	एन 1	i	आरएम ≤ 1305	1000	500	100	-	68		60	80	-	170	4.5	4.5	6x10 11	6x10 11
(2)		ii	1 305 < आरएम ≤ 1760	1810	630	130	-	90	-	75	105	-	195	4.5	4.5	6x10 11	6x10 11
(3)		iii	1760 <आरएम	2 270	740	160	-	108	-	82	125	-	215	4.5	4.5	6x10 11	6x10 11

पीआई = पॉजिटिवइग्निशन, सीआई = कंप्रेशन इग्निशन

1. पॉजिटिव इग्निशन के लिए, कण द्रव्यमान और कणों की संख्या की सीमा केवल डाइरेक्ट इंजेक्शन इंजन वाले वाहनों पर लागू होगी।

2. "संदर्भ द्रव्यमान" का तात्पर्य वाहन चालू रहने की स्थिति (रनिंग ऑर्डर) में वाहन का भार +75 किग्रा से है।

श्रेणी एन1 के एक प्रकार के वाहन से उत्पन्न होने वाले 3.5 और 5.0 टन अधिकतम द्रव्यमान के बीच श्रेणी एन2 के वाहनों के लिए, यदि एन2 वाहन श्रेणी एन1 के एक प्रकार के वाहन के लिए उत्सर्जन अपेक्षाओं को पूरा करता है, तो अनुमोदन

प्राधिकारी एक उत्सर्जन प्रकार-अनुमोदन प्रदान कर सकता है। ऐसे एन2 वाहनों को इस नियम के तहत सीओपी/आईएससी/आईयूपीआर की अपेक्षाओं को पूरा करना होगा।

टाइप-अनुमोदन के लिए परीक्षण अपेक्षाओं की अनुप्रयोज्यता - बीएस VI, डब्ल्यूएलटीपी परीक्षण प्रक्रियाओं के साथ, तालिका 2 के नियम 115 (18) (i) के समान होगी, जिसमें स्पष्टीकरण नोट (1) से (5) शामिल हैं।

टिप्पण -

1. परीक्षण चेसिस डायनेमोमीटर पर किया जाएगा।
2. ड्राइविंग साइकल सहित परीक्षण प्रक्रिया समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-175 के अनुसार होगी।
3. उत्पादन अनुरूपता (सीओपी) प्रयोजनों के लिए मानदंडों में कोई छूट नहीं दी जाएगी और अनुपालन की प्रक्रिया समय-समय पर संशोधित एआईएस-175 के अनुसार होगी।
4. संदर्भ ईंधन के लिए विनिर्देश नियम 115(18)(i) के नोट 4 के समान होंगे।
   (क) प्राकृतिक गैस या जैव-मीथेन मोनो-ईंधन या द्वि-ईंधन वाहनों में उपयोग किया जाने वाला संदर्भ प्राकृतिक गैस ईंधन अनुलग्नक IV-ठ (जी20, जी23 और जी25) के अनुसार होंगे।

   (ख) एलपीजी मोनो ईंधन या द्वि-ईंधन वाहनों में उपयोग किया जाने वाला संदर्भ एलपीजी ईंधन अनुलग्नक IV-ड (ईंधन क और ईंधन ख) के अनुसार होगा, तथापि, सीएनजी या एलपीजी के लिए संदर्भ ईंधन की अनुपलब्धता के मामले में, समय-समय पर यथा संशोधित बीआईएस 15958:2012 के अनुसार व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सीएनजी और बीआईएस 14681:2000 के अनुसार एलपीजी का उपयोग उत्पादन के प्रकार अनुमोदन और अनुरूपता के उद्देश्य से किया जाएगा।

   (ग) संदर्भ इथेनॉल ईंधन (ई85) अनुलग्नक 4-थ के अनुसार होंगे।

   (घ) संदर्भ डीजल ईंधन (बी7) अनुलग्नक 4-न में निर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

   (ङ) संदर्भ ईंधन बायोगैस (बायो-मीथेन) समय-समय पर यथा संशोधित आईएस 16087:2013 के अनुसार होंगे

   (च) संदर्भ ईंधन हाइड्रोजन समृद्ध संपीड़ित प्राकृतिक गैस (एचसीएनजी) समय-समय पर यथा संशोधित आईएस 17314:2019 के अनुसार होंगे

   (छ) हाइड्रोजन ईंधन वाहनों का परीक्षण उक्त नियमों के अनुलग्नक IV-ब में निर्दिष्ट संदर्भ ईंधन के साथ किया जाएगा।

   (ज) संदर्भ ईंधन हाइड्रोजन समृद्ध संपीड़ित प्राकृतिक गैस (एचसीएनजी) समय-समय पर यथा संशोधित आईएस 17314:2019 के अनुसार होंगे।

   (झ) ई-100 संदर्भ ईंधन की अनुपलब्धता के मामले में, समय-समय पर यथा संशोधित आईएस 17821:2022 के अनुसार व्यावसायिक रूप से उपलब्ध ई-100 ईंधन का उपयोग प्रकार अनुमोदन और उत्पादन की अनुरूपता के उद्देश्य से किया जाएगा।

   (ञ) संदर्भ ई20 ईंधन (गैसोलीन में इथेनॉल का 20 प्रतिशत) आईएस 17943:2022 और बीआईएस द्वारा समय-समय पर किए गए संशोधन के अनुसार होंगे।

   (ट) संदर्भ बी100 ईंधन अनुलग्नक IV-ध के अनुसार और बीआईएस द्वारा समय-समय पर किए गए संशोधन के अनुसार किया जाएगा।
5. क्रैंककेस वेंटिलेशन प्रणाली सेवायुमंडल में किसी भी क्रैंककेस गैस का उत्सर्जन नहीं होना चाहिए।

6. गैसोलीन ईंधन वाले वाहनों से वाष्पीकरण उत्सर्जन 2.0 ग्राम/परीक्षण से अधिक नहीं होना चाहिए। गैसोलीन ईंधन वाले वाहनों के लिए वाष्पीकरण उत्सर्जन परीक्षण प्रक्रिया एआईएस-175 में निर्दिष्ट औरसमय-समय पर संशोधित प्रक्रिया के अनुसार होगी।

7. उत्पादन अनुरूपता (सीओपी) परीक्षण प्रक्रिया एआईएस 175 में वर्णित और समय-समय पर संशोधित प्रक्रिया के अनुसार होगी।

8. उत्पादन अनुरूपता (सीओपी) आवृत्ति और सैंपल के नियम 115 (18) (i) के नोट 8 के समान होंगे।

(i) प्रत्येक वाहन मॉडल, इसके प्रकारों सहित, के लिए उत्पादन अवधि की अनुरूपता वर्ष में एक बार होगी;

(ii) जहां छह महीने में उत्पादन की मात्रा 250 प्रति मॉडल, इसके प्रकारों सहित, से कम है, नियम 126-क के प्रावधानों में निहित प्रावधान लागू होंगे;

(iii) ये सभी परीक्षण इस उप-नियम में निर्दिष्ट संदर्भ ईंधन के साथ किए जाएंगे:

बशर्ते कि, निर्माता के अनुरोध पर, परीक्षण वाणिज्यिक ईंधन के साथ किया जा सकता है;

(iv) इस उप-नियम के अनुसार अनुमोदित वाहनों के लिए, प्रति वर्ष किसी विशेष संयंत्र से उत्पादित वाहन मॉडल का कम से कम 50 प्रतिशत, निकटतम पूर्णांक मान तक पूर्णांकित करके, विक्रेता के स्थान या गोदाम से यादृच्छिक रूप से चुना जाएगा।

9. वाणिज्यिक ईंधन के लिए विनिर्देश इस प्रकार होंगे:-

(i) वाणिज्यिक गैसोलीन ईंधन अनुलग्नक IV-प और समय-समय पर किए गए संशोधन के अनुसार होंगे;

(ii) वाणिज्यिक सीएनजी और वाणिज्यिक एलपीजी के लिए विनिर्देश क्रमशः बीआईएस 15958:2012 और बीआईएस 14681:2000 और समय-समय पर किए गए संशोधन के अनुसार होंगे;

(iii) वाणिज्यिक डीजल में उपयोग किया जाने वाला बायोडीजल समय-समय पर यथा संशोधित आईएस 15607 के अनुसार होंगे;

(iv) वाणिज्यिक डीजल ईंधन के लिए विनिर्देश अनुलग्नक IV-फ समय-समय पर किए गए संशोधन के अनुसार होंगे;

(v) वाणिज्यिक ईंधन ई85 के लिए विनिर्देश (गैसोलीन में इथेनॉल के 85 प्रतिशत का मिश्रण) आईएस 16634:2017 और बीआईएस द्वारा समय-समय पर किए गए संशोधन के अनुसार होंगे;

(vi) वाणिज्यिक बायोगैस (बायो-मीथेन) के लिए विनिर्देश आईएस:16087:2013 और समय-समय पर किए गए संशोधन के अनुसार होंगे;

(vii) हाइड्रोजन समृद्ध संपीड़ित प्राकृतिक गैस (एचसीएनजी) के लिए विनिर्देश आईएस 17314:2019 और समय-समय पर किए गए संशोधन के अनुसार होंगे;

(viii) वाणिज्यिक इथेनॉल ईंधन (ई20) के लिए विनिर्देशन आईएस 17021:2018 के अनुसार होंगे;

(ix) वाणिज्यिक ईंधन ई100 के लिए विनिर्देशन आईएस 17821:2022 और समय-समय पर किए गए संशोधन के अनुसार होंगे;

10. एनओएक्स न्यूनीकरण एजेंट एयूएस32 (एक्वेटिक यूरिया सोल्यूशन) के विनिर्देश नियम 115(18) (i) के नोट 10 के समान होंगे।

11. डीजल वाहनों के लिए, दृश्यमान प्रदूषकों (धुएं) के उत्सर्जन की अपेक्षाएं नियम 115 (18) (i) के नोट 11 के समान होंगी।

12. इंजन की शक्ति को इंजन डायनेमोमीटर पर मापा जाएगा और मापी गई शक्ति के लिए प्रक्रिया और अपेक्षाएं समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस 137 के अनुरूप होंगी।

13. टाइप II परीक्षण: इस उप-खंड में विनिर्दिष्ट पीआई इंजन लगे वाहन यथा लागू नियम 115 के उप-नियम (2) के खंड (i) के प्रावधानों, का अनुपालन करेंगे ।

14. फ्री एक्सलरेशन स्मोक: इस उप-खंड में विनिर्दिष्ट सीआई इंजन से सुसज्जित वाहन यथा लागू नियम 115 के उप-नियम (2) के खंड (ii) के प्रावधानों, का अनुपालन करेंगे।

15. क्षरण कारक (डिटिरिओरेशन फैक्टर) निम्नलिखित तालिका के अनुसार होगा: -

तालिका 2

डिटिरिओरेशन फैक्टर: बीएस VI – डब्ल्यूएलटीपी परीक्षण चक्र

क्रम संख्या	इंजन श्रेणी	निर्धारित क्षरण कारक						
		कार्बन मोनाऑक्साइड (सीओ)	कुल हाइड्रो कार्बन (टीएचसी)	नॉनमीथेन हाइड्रोकार्बन (एनएमएचसी)	नाइट्रोजन ऑक्साइड - (एनओएक्स)	हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड (टीएचसी + एनओएक्स)	पार्टिकुलेट मैटर (पीएम)	कणों (पार्टिकल्स) की संख्या (पीएन)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1)	पॉजिटिव इग्निशन	1.5	1.3	1.3	1.6	-	1.0	1.0
(2)	कंप्रेशन इग्निशन	1.5	-	-	1.1	1.1	1.0	1.0

(i) वैकल्पिक रूप से, वाहन विनिर्माता पीआई वाहनों के लिए समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस 175 के अनुसार डिटिरिओरेशन फैक्टर के मूल्यांकन के लिए 1,60,000 किमी के वाहन एजिंग परीक्षण या बेंच एजिंग ड्यूरेबिलिटी परीक्षण का विकल्प चुन सकता है।

(ii) समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस 175 के अनुसार वाहन का परीक्षण ट्रैक, सड़क या चेसिस डायनेमोमीटर अथवा इंजन टेस्ट बेंच पर यह परीक्षण किया जा सकता है।

(iii) उपर्युक्त एजिंग परीक्षण नियम 126 में निर्दिष्ट अनुमोदित परीक्षण एजेंसी द्वारा किया जाना चाहिए।

16. वाहनों में उत्सर्जन नियंत्रण के लिए ऑन-बोर्ड डायग्नोस्टिक (बीएस VI - ओबीडी) सिस्टम लगाए जाएंगे, जिसमें समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-175 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कंप्यूटर मेमोरी में संग्रहीत त्रुटि कोड के माध्यम से खराबी के संभावित क्षेत्र की पहचान करने की क्षमता होगी, जब उस विफलता के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित तालिका में दी गई सीमाओं से अधिक उत्सर्जन में वृद्धि होती है, अर्थात्: -

तालिका 3

बीएस-वीआई वाहनों के लिए ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक (ओबीडी) सीमा

क्रम संख्या			संदर्भ द्रव्यमान (आरएम) (2) (कि.ग्रा.)	सीओ (मिलीग्राम/किमी)		एनएमएचसी/ (मिलीग्राम/किमी)		एनओएक्स (मिलीग्राम/किमी)		पीएम (मिलीग्राम /किमी)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(1)	श्रेणी	वर्ग		पीआई	सीआई	पीआई	सीआई	पीआई	सीआई	पीआई (1)	सीआई
(2)	एन 1	I	आरएम ≤ 1305	1900	1750	170	290	90	140	12	12

(3)		II	1305 < आरएम ≤ 1760	3400	2200	225	320	110	180	12	12
(4)		III	1760 < आरएम	4300	2500	270	350	120	220	12	12

17. इन नियमों का अनुपालन करने वाले बीएस VI वाहनों के लिए इन यूज परफॉर्मेंस रेश्यो (आईयूपीआर), ओबीडी प्रणालियों के एक विशिष्ट मॉनिटर एम का इन यूज परफॉर्मेंस रेश्यो (आईयूपीआर) होगा:

आईयूपीआरएम = अंश (न्युमिनेटर)/ विभाजक (डीनोमीनेटर)

i. अंश (न्युमिनेटर) और विभाजक (डीनोमीनेटर) की तुलना यह संकेत देती है कि वाहन संचालन के सापेक्ष एक विशिष्ट मॉनिटर कितनी बार संचालित होता है। आईयूपीआर को ट्रैक करने के लिए विस्तृत आवश्यकताएँ एआईएस 175 में दी गई हैं।

ii. यदि एआईएस 175 में निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार, वाहन एक विशिष्ट मॉनिटर एम से सुसज्जित है, तो आईयूपीआरएम निम्नलिखित न्यूनतम मानों से अधिक या बराबर होगा।

क. वाष्पीकरण उत्सर्जन शुद्धिकरण नियंत्रण मॉनीटर के लिए 0.520.

ख. अन्य सभी मॉनीटरों के लिए 0.336.

ग. सेकेंडरी एयर सिस्टम मॉनीटर और कोल्ड स्टार्ट संबंधित अन्य मॉनीटर के लिए 0.260.

iii. वाहनों का इन सर्विस अनुपालन एआईएस 175 में निर्धारित और समय-समय पर यथा संशोधित प्रक्रिया के अनुसार होगा।

iv. इन नियमों का अनुपालन करने वाले वाहनों के लिए टाईप अनुमोदन या उसके बाद निर्मित सभी मॉडलों के लिए, यथा संशोधित एआईएस 175 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पीईएमएस का उपयोग करके रीयल वर्ल्ड ड्राइविंग सायकल उत्सर्जन मापा जाएगा। आरडीई अनुरूपता कारक (सीएफ), निम्नलिखित तालिका के अनुसार होगा, अर्थात्:-

तालिका 4

अनुरूपता कारक (सीएफ): बीएस VI-डबल्यूएलटीपी

क्रम संख्या	प्रदूषक	सीएफ प्रदूषक
	(1)	(2)
(1)	एनओएक्स	1 + मार्जिन [3] एनओएक्स मार्जिन एनओएक्स के साथ= 0.43
(2)	पीएन [1]	1 + मार्जिन [3] पीएन मार्जिन पीएन के साथ= 0.5
(3)	सीओ [2]	-

1. केवल पॉजिटिव इग्निशन (डायरेक्ट इंजेक्शन) इंजन और कम्प्रेशन इग्निशन इंजन के लिए लागू।
2. आरडीई परीक्षणों में सीओ उत्सर्जन को मापा और दर्ज किया जाएगा।
3. मार्जिन एक ऐसा पैरामीटर है जो पीईएमएस उपकरण द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त माप अनिश्चितताओं को ध्यान में रखता है।

20. सीएनजी या बायो-सीएनजी या एचसीएनजी वाहन एआईएस 024, एआईएस-028 संशोधन 1, जैसा लागू हो के अनुसार सभी सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करेंगे।

21. ई85 और ई100 के इथेनॉल मिश्रण के स्तर के लिए वाहन की अनुकूलता परिभाषित की जाएगी और इसे एआईएस 171:2021 के अनुसार स्पष्ट रूप से नजर आने वाले स्टिकर लगाकर वाहन पर प्रदर्शित किया जाएगा।

22. सभी गैसोलीन-ईंधन वाले मोनो-फ्यूल और बायो-फ्यूल वाहन जिनमें पॉजिटिव इग्निशन इंजन लगे हों, जिनमें हाइब्रिड भी शामिल हैं, उन्हें इथेनॉल (ई20) ईंधन के लिए प्रमाणित किया जाना चाहिए।

[सं.आरटी-11036/25/2025-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप धारा (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 02 जून, 1989 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि.....(अ), दिनांकित ..... द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2026

G.S.R. 634(E).— The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL, Transport & Road Safety), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001 or on the email: comments-morth@gov.in;

Draft Rules

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (……. Amendment) Rules, 2026.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

1. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 115, in sub-rule 18, after clause (i), the following clause shall be inserted, namely: -

"(iB) The Emission Standards for **Bharat Stage VI (BS-VI) with Worldwide Harmonised Light Duty Test Procedure (WLTP) test cycle (for N1 category): The emission standards** for vehicles of category N1, manufactured on or after 01st April 2028, for all models, shall be as under.

TABLE 1

Exhaust Emission Limits for Vehicles Fitted with PI and CI Internal Combustion Engines

	Category	Class	Reference Mass (RM)(2) (kg)	Mass of carbon mon oxide (CO)	Mass of total hydro carbons (THC)	Mass of nonmethane hydrocarbons (NMHC)	Mass of oxides of nitrogen (NOx)	Combined mass of total hydrocarbons and oxides of nitrogen (THC + NOx)	Mass of particulate matter (PM)	Number of particles (PN)
				L_1 (mg/km)	L_2 (mg/km)	L_3 (mg/km)	L_4 (mg/km)	L2 + L4 (mg/km)	L_5 (mg/km)	L_6 (#/km)

				PI	CI	PI	CI	PI	CI	PI	CI	PI	CI	PI (1)	CI	PI (1)	CI
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
(1)	N1	I	RM ≤ 1305	1000	500	100	-	68		60	80	-	170	4.5	4.5	$6x10^{11}$	$6x10^{11}$
(2)		II	1305 < RM ≤ 1760	1810	630	130	-	90	-	75	105	-	195	4.5	4.5	$6x10^{11}$	$6x10^{11}$
(3)		III	1760 < RM	2270	740	160	-	108	-	82	125	-	215	4.5	4.5	$6x10^{11}$	$6x10^{11}$

PI = Positive Ignition, CI = Compression Ignition

1. For Positive Ignition, Particulate mass and number of particles limit shall apply only to vehicles with Direct Injection Engines.
2. "Reference mass" means the vehicle's mass in running order plus 75 kg

For vehicles of category N2 between 3.5 and 5.0 tonnes maximum mass, originating from a type of vehicle of category N1, the approval authority may grant an emission type-approval if the N2 vehicle meets the emission requirements for a type of vehicle of category N1. Such N2 vehicles will be required to meet COP/ISC/IUPR requirements under this rule.

Application of Test Requirements for Type-Approval – BS VI, with WLTP test procedures, shall be the same as that of Table 2 of rule 115 (18) (i), including explanatory note (1) to (5) only.

Notes. -

1. The test shall be on a Chassis Dynamometer.
2. The test procedure, including driving cycle, shall be as provided in AIS-175, as amended from time to time.
3. There shall be no relaxation of norms for Conformity of Production (COP) purposes, and the procedure for compliance shall be as per AIS-175, as amended from time to time.
4. Specifications for Reference Fuels shall be as follows:—

(a) Reference natural gas fuel used in Natural Gas or Bio-Methane mono-fuel or bi-fuel vehicles shall be as per Annexure IV-L (G20, G23 and G25).

(b) Reference LPG fuel used in LPG mono fuel or bi-fuel vehicles shall be as per Annexure IV-M (Fuel A and Fuel B), However, in case of non-availability of reference fuels for CNG or LPG, the commercially available CNG as per BIS 15958:2012 and LPG as per BIS 14681:2000 as amended from time to time shall be used for the purpose of Type approval and conformity of production.

(c) The reference ethanol fuel (E85) shall be as per Annexure IV-Q.

(d) The reference Diesel fuel (B7) shall be as specified in Annexure IV-T.

(e) The reference fuel Biogas (Bio-methane) shall be as per IS 16087:2013 and as amended from time to time.

(f) The reference fuel Hydrogen Enriched Compressed Natural Gas (HCNG) shall be as per IS 17314:2019 and as amended from time to time.

(g) Hydrogen Fuel vehicles shall be tested with reference fuel specified in Annexure IV-W to said rules.

(h) The reference fuel Hydrogen Enriched Compressed Natural Gas (HCNG) shall be as per IS 17314:2019 and as amended from time to time.

(i) In case of non-availability of E100 reference fuel, the commercially available E100 fuel as per IS17821:2022 as amended from time to time shall be used for the purpose of Type approval and conformity of production.

(j) The reference E20 fuel (20 per cent. of Ethanol in Gasoline) shall be as per IS 17943:2022 and as amended from time to time by BIS.

(k) The reference B100 fuel shall be as per Annexure IV-S and as amended from time to time by BIS.

5. Crankcase ventilation system shall not permit the emission of any of the crankcase gases into the atmosphere.

6. Evaporative emission shall not be more than 2.0 g/test from gasoline-fuelled vehicles. The evaporative emission test procedure for gasoline-fuelled vehicles shall be as per the procedure specified in AIS 175, and as amended from time to time.

7. The Conformity of Production (COP) testing procedure shall be as described in AIS 175 and as amended from time to time.

8. Conformity of production (CoP) frequency and samples as under, namely:—

(i) the conformity of production period for each vehicle model, including its variants shall be once a year;

(ii) where production volume in six months is less than 250 per model, including its variants, the provisions contained in the provisions of rule 126-A shall apply;

(iii) all these tests shall be conducted with the reference fuel as specified in this sub-rule:

Provided that, at the manufacturer's request, the test may be carried out with commercial fuel;

(iv) for vehicles approved as per this sub-rule, at least 50 per cent of vehicle models, rounded to the nearest integer value, produced from a particular plant per year shall be selected randomly from the dealer's location or warehouse.

9. Specifications for Commercial Fuels are as follows:—

(i) the commercial Gasoline fuel shall be as per Annexure IV-U and as amended from time to time;

(ii) specifications for commercial CNG and commercial LPG shall be in accordance with BIS 15958:2012 and as per BIS 14681:2000 respectively and as amended from time to time;

(iii) Biodiesel used in commercial diesel shall be as per IS 15607 as amended from time to time;

(iv) specifications for commercial diesel fuel shall be as per Annexure IV-V and as amended from time to time;

(v) specification for commercial fuel E85 (blend of 85 per cent of Ethanol in Gasoline) shall be as per IS 16634:2017 and as amended from time to time by BIS;

(vi) specifications for commercial Biogas (Bio-Methane) shall be as per IS:16087:2013 and as amended from time to time;

(vii) specifications for Hydrogen Enriched Compressed Natural Gas (HCNG) shall be as per IS 17314:2019 and as amended from time to time;

(viii) Specification for commercial ethanol fuel (E20) shall be as per IS 17021:2018;

(ix) Specification for commercial fuel E100 shall be as per IS 17821:2022 and as amended from time to time

10. Specifications of NOx reduction agent AUS 32 (Aqueous Urea Solution) shall be same as that of Note 10 of Rule 115 (18) (i).

11. For Diesel vehicles, the requirements for the emission of visible pollutants (smoke) shall be same as that of Note 11 of Rule 115 (18) (i).

12. The engine power shall be measured on engine dynamometer and the procedure and requirements for the measured power shall conform to AIS 137, as amended from time to time.

13. Type II Test: Vehicles fitted with PI engines specified in this sub-clause shall comply with the provisions of clause (i) of sub-rule (2) of rule 115 as applicable.

14. Free Acceleration Smoke: Vehicles fitted with CI engines specified in this sub-clause shall comply with the provisions of clause (ii) of sub-rule (2) of rule 115 as applicable.

15. Deterioration Factor shall be as given in the following Table: -

Table 2

Deterioration Factor: BS VI – WLTP Test Cycle

Sl. No.	**Engine Category**	**Assigned Deterioration Factor**						
		CO	**THC**	**NMHC**	**NOx**	**HC+NOx**	**Particulate Matter (PM)**	**Particle Number (PN)**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	**(6)**	(7)	(8)
(1)	Positive Ignition	1.5	1.3	1.3	1.6	-	1.0	1.0
(2)	Compression Ignition	1.5	-	-	1.1	**1.1**	1.0	1.0

i. Alternatively, for PI vehicles, the vehicle manufacturer may opt for a vehicle ageing test of 1,60,000 km or a bench ageing durability test, for evaluating the Deterioration factor as per AIS 175 and as amended from time to time.

ii. This test may be performed by driving vehicle on a test track, on the road, or on a chassis dynamometer or Engine Test Bench as per AIS 175 and as amended from time to time

iii. The above ageing test should be carried out by the approved test agency specified in rule 126.

16. The vehicles shall be equipped with On-Board Diagnostic (BS VI WLTP- OBD) systems for emission control which shall have the capability of identifying the likely area of malfunction by means of fault codes stored in computer memory as per the procedure laid down in AIS-175 and as amended from time to time when that failure results in an increase in emission above the limits given in the following Table, namely:-

Table 3:

On Board Diagnostic (OBD) Threshold for BS-VI vehicles

Sl. No.			**Reference mass (RM) [2] (kg)**	**CO (mg/km)**		**NMHC/ (mg/km)**		**NOx (mg/km)**		**PM (mg/km)**	
	(1)	**(2)**	**(3)**	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(1)	**Category**	**Class**		PI	CI	PI	CI	PI	CI	PI [1]	CI
(2)	**N1**	**I**	**RM ≤ 1305**	1900	1750	170	290	90	140	12	12
(3)		**II**	**1305 < RM ≤ 1760**	3400	2200	225	320	110	180	12	12
(4)		**III**	**1760 < RM**	4300	2500	270	350	120	220	12	12
	1. For positive ignition, particulate mass applies only to vehicles with direct injection engines 2. Reference Mass shall be considered as Mass in Running Order +75kg.										

17. In-use performance ratio (IUPR) for BS VI vehicles complying to these rules, the in-use performance ratio (IUPR) of a specific monitor M of the OBD systems shall be:

$IUPR_M$ = Numerator/ Denominator

i. Comparison of Numerator and Denominator indicates how often a specific monitor is operating relative to vehicle operation. Detailed requirements for tracking IUPR are given in AIS 175.

ii. If, according to the requirements specified in AIS 175, the vehicle is equipped with a specific monitor M, $IUPR_M$ shall be greater or equal to the following minimum values.

a. 0.520 for evaporative emission purge control monitors.

b. 0.336 for all other monitors.

c. 0.260 for secondary air system monitors and other cold start-related monitors.

iii. In service compliance of vehicles shall be as per the procedure laid down in AIS175 and as amended from time to time.

iv. For the vehicles complying with these Rules, real-world driving cycle emission measurement using PEMS shall be carried out for vehicles as per the procedure laid down in AIS 175 as amended from time to time, for all models during Type Approval. The RDE Conformity Factor (CF), shall be as per the following Table, namely:-

Table 4

Conformity Factor (CF) : BS VI-WLTP

Sl. No.	**Pollutant**	**CFpollutant**
	(1)	**(2)**
(1)	NOx	1 + margin [3] NOx With margin NOx = 0.43
(2)	PN [1]	1 + margin [3] PN With margin PN = 0.5
(3)	CO [2]	-

1. Applicable for: Positive Ignition (Direct Injection) engines and Compression Ignition Engines only
2. CO emissions shall be measured and recorded at RDE tests.
3. Margin is a parameter taking into account considering the additional measurement uncertainties introduced by the PEMS equipment.

20. The CNG or Bio-CNG or HCNG Vehicles shall meet all the safety requirements as per AIS 024, AIS-028 Revision 1 as applicable.

21. The compatibility of the vehicle to the level of Ethanol blend of E85 and E100 shall be defined by the vehicle manufacturer, and the same shall be displayed on the vehicle by putting a clearly visible sticker as per AIS 171:2021.

22. All the gasoline-fuelled mono-fuel and Bi-Fuel Vehicles with Positive Ignition Engines, including Hybrids, shall be certified with Ethanol (E20) fuel."

[F. No. RT-11036/25/2025-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section(i) vide G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide G.S.R. …..(E) dated the …….

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR Digitally signed by VINOD KUMAR Date: 2026.07.27 14:05:38 +05'30'